भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2116

जिसका उत्तर सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

यूपीआई नकद जमा सुविधा में जोखिम

2116. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल: प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे: श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील: श्री संजय दीना पाटिल:
श्रीमती सुप्रिया सुले: डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री अमर शरदराव काले: श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र तथा संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव सहित देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन की संख्या माह-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है तथा यूपीआई नकद जमा में संभावित चुनौतियां एवं जोखिम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे यूपीआई लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित की है तथा लेन-देन में धोखाधड़ी को रोका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/सरकार का विचार सीमापार भुगतान के लिए यूपीआई को अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का है तथा यदि हां, तो सरकार का यह कदम किस प्रकार व्यक्तियों अथवा वित्तीय क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान में आसानी के लिए सहायक होगा;

(घ) क्या यूपीआई को अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों से जोड़ने से देश की धन प्रेषण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा;

(ड़) यदि हां, तो क्या विदेशी निवेशकों को आईएफएससी ग्रीन बांड में निवेश करने तथा रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए मोबाइल ऐप लांच करने की अनुमति है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(च) क्या इससे हमारी वित्तीय प्रणाली प्रभावित होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डिजिटल भुगतान मोड को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार/आरबीआई द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि यूपीआई लेनदेन में भौगोलिक स्थान को नहीं दर्शाया जाता है। तथापि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के लिए यूपीआई लेनदेन (मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में) वित्तीय-वर्ष-वार और माह-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में संलग्न किया गया है।

यूपीआई के माध्यम से अंतर परिचालनीय आधार पर कार्डलेस नकद जमाराशि की सुविधा प्रदान की गई। वर्तमान में, यह सुविधा कुछेक चयनित बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गई है। यूपीआई के माध्यम से नकद जमाराशि के बचाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:-

i) इस सुविधा का उपयोग करके एक ग्राहक को प्रति लेनदेन के लिए अधिकतम 50,000 रुपए जमा करने की अनुमति है। बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों के आधार पर धनराशि की कम सीमा तय करने की अनुमति है।

ii) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को यह सलाह दी गई है कि भुगतानकर्ता पीएसपी या एनपीसीआई के स्तर पर जमाकर्ता के लिए अंतर-परिचालनीय नकद जमाराशि (आईसीडी) लेनदेनों की स्वीकार्य संख्या निर्धारित करें।

iii) लाभार्थी बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि जमाराशि के लेनदेनों की स्वीकार्य संख्या निर्धारित करें।

iv) लेनदेन संदेश जमाकर्ता के विवरण को कैप्चर करेगा और स्पष्ट करेगा कि यह लेनदेन नकद जमाराशि का है।

(ग) और (घ): आरबीआई के भुगतान दृष्टिकोण दस्तावेज़ 2025 में यूपीआई और रुपे कार्ड के वैश्विक आउटरीच को अंतर्राष्ट्रीय आधार स्तंभ के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्यों में से एक के रूप में बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। आरबीआई यूपीआई के आउटरीच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है:-

क) पारस्परिक आधार पर वैयक्तिक प्रेषण के लिए अन्य देशों के तीव्र भुगतान प्रणाली (एफपीएस)के साथ यूपीआई की इंटरलिंकिंग।

ख) विदेशों में व्यावसायिक स्थानों पर क्यूआर कोड़ के माध्यम से यूपीआई ऐप की स्वीकृति और यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड़ की स्वीकृति और

ग) अन्य देशों मे यूपीआई जैसे बुनियादी ढ़ांचा लागू करना।

लागत, गति, पहुंच और पारदर्शिता जैसी चार प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके अन्य देशों में यूपीआई के उपयोग को बढ़ाने से भारत को और भारत से किए जानेवाले सीमा पार भुगतान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बदले में तेज़, सस्ती, अधिक पारदर्शी और अधिक समावेशी सीमा पार भुगतान सेवाएं आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में सहयोग प्रदान करके नागरिकों और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक लाभ प्रदान करेगी।

(ङ): रीटेल डायरेक्ट योजना (आरडीएस) इंटरनेशनल फाइनेंशिएल सर्विसेज़ सेन्टर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) के दायरे से बाहर है और तदनुसार, आईएफएससी में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध ग्रीन बांड आरडीएस पर व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

(च): चूंकि आरडीएस की अनुमति नहीं है, इसलिए वित्तीय प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, ग्राहकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई देश भर में इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

अनुबंध-1

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यूपीआई लेनदेन का वित्तीय-वर्ष-वार और माह-वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

माह	वित्तीय वर्ष							
	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	मात्रा (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ में)	मात्रा (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ में)	मात्रा (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ में)	मात्रा (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ में)
अप्रैल	264	5	558	10	886	14	1,330	20
मई	253	5	595	10	942	15	1,404	20
जून	281	5	586	10	934	15	1,389	20
जुलाई	325	6	629	11	996	15	-	-
अगस्त	356	6	658	11	1,059	16	-	-
सितंबर	366	7	678	11	1,056	16	-	-
अक्तूबर	422	8	731	12	1,141	17	-	-
नवंबर	419	8	731	12	1,124	17	-	-
दिसंबर	457	8	783	13	1,202	18	-	-
जनवरी	462	8	804	13	1,220	18	-	-
फरवरी	453	8	753	12	1,210	18	-	-
मार्च	541	10	865	14	1,344	20	-	-
कुल	**4,596**	**84**	**8,371**	**139**	**13,113**	**200**	**4,122**	**60**